भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1190

11.12.2023 को उत्तर के लिए

वन्यजीवों की हत्या

1190. श्री जुएल ओराम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कई राज्यों में बाघों, सिंहों आदि जैसे वन्यजीवों की संख्या में कमी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका एक मुख्य कारण मनुष्यों द्वारा ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में हाथियों, तेंदुओं और बाघों की हत्या है; और

(घ) यदि हां, तो इन पशुओं की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): ऐशियाई शेर, बाघ और हाथियों की आबादी के आकलन के अनुसार, इनकी संख्या में कमी नहीं देखी गई है। इन जानवरों की आबादी का आकलन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ऐशियाई शेर		बाघ		हाथी	
	वर्ष	आबादी	वर्ष	आबादी	वर्ष	आबादी
1	2010	411	2014	2226	2007	27669-27719
2	2015	523	2018	2967	2012	29391-30711
3	2020	674	2022	3682	2017	29964

(ग) और (घ): वन्यजीवों की आबादी के आकलन और अवैध शिकार पर नियंत्रण सहित उनके पर्यावासों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अधिनियम में ऐसे उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने के लिए भी प्रावधान है, जिसे वन्यजीव अपराध (अपराधों) को करने में प्रयोग किया गया है।

ii. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के संबंध में संबंधित राज्य और केंद्रीय ऐजेंसियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) द्वारा निवारक कार्रवाई करने हेतु चेतावनियां और परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं।

iii. मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने हेतु दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है।

iv. मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के संबंध में दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

v. मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.03.2023 को मानव-हाथी, मानव-गौर, मानव-तेंदुआ, मानव-सर्प, मानव-मगरमच्छ, मानव-रिसस मकॉक, मानव-जंगली सुअर, मानव-भालू, मानव-ब्लू बुल और मानव-काला हिरण संघर्ष के उपशमन के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ-साथ भारत में वन और मीडिया सेक्टर के बीच सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष उपशमन के संदर्भ में पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा; मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित स्थितियों में भीड़ का प्रबंधन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

vi. भारत सरकार द्वारा मानव-बाघ/मानव-तेंदुआ/मानव-हाथी संघर्ष का प्रबंधन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

vii. जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।

viii. केन्द्रीय सरकार देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ix. इन स्कीमों के तहत, फसल लगे खेतों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु समर्थित कार्यकलापों में कांटेदार तार का बेड़ा, सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़, कैक्टस का रोपण करके जैविक-बाड़, बाउंडरी वॉल आदि जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण/सृजन शामिल है।

x. स्थानीय समुदायों को पारि-विकास संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल किया गया है, जिससे वन विभागों को वन्यजीवों के संरक्षण में सहायता मिलती है।

*****